



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड-249404

संख्या :: 32 / 11/E-05/DR/उ0नि0/2023-24

दिनांक :: 20 मई, 2025

विस्तृत विज्ञप्ति

गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गृह विभाग के अंतर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 12.01.2025 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु लिखित परीक्षा 09.02.2025 को आयोजित की गयी। उपरोक्त पदों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) दिनांक 14 मई 2025 द्वारा घोषित की गयी है।

02- प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

03- अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 26 मई, 2025 से निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है-

उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी)

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 26 मई, 2025

400282	400834	400920	402307	402532	402534	402544	402573	402732	402738
402800	402811	402834	402938	403493	404512	404523	404724	405014	405045
406492	406550	406591	406875	406983	407249	407575	407627	407662	407719
408137	408340	408635	408703	408720	408728	408737	408773	409189	409445
409469	409471	409547	409743	409789	410626	410865	411081	411153	411231
411286	411325	413198	413288	413591	414142	414309	414358	414952	414959
415035	415664	415707	415989	416020	416174	416500	416676	416788	416920

417435	417766	417885	419732	419813	419854	420272	420348	420463	420491
420655	420811	421096	421144	421237	421299	421315	422375	425011	426675
427076	427091	427210	427581	427597	427686	427864	428048	428139	428142
428484	428580	428772	429306	429319	429342	430133	430301	430414	431148
431749	431769	433631	433648	433705	433768	434105	434215	434239	434266
434285	434369	434431	434494	434527	434599	434644	435081	435138	435166
435675	435696	435918	439225	439268	439473	439493	439513	439758	440152
441218	441247	441251	441337	441687	441757	442073	442104	442189	442367

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 27 मई, 2025

442380	442590	443167	443554	443682	443742	443929	444272	444300	444397
444832	444890	445023	445064	445067	445165	445740	445898	445986	446232
446294	446512	447051	447715	448117	448800	448805	448946	448955	448968
449129	449166	449181	449303	449364	449395	449490	449520	449522	449559
449577	449588	449595	449622	449658	449724	450130	450439	450454	450609
450673	451165	451284	452344	452648	453503	453674	453720	453745	453905
455745	455832	456024	456893	457014	457059	457731	457936	458009	458066
458357	458501	458624	458978	459098	459156	459310	459618	459699	459716
459875	460018	460037	460927	461115	461450	461544	461800	462006	462090
462308	462571	462592	462693	462784	462789	462794	462825	463115	463421
463521	463642	463671	463683	464026	464337	464462	464470	464521	464541
465027	465220	465290	465513	465996	466115	467020	467782	467960	468625
468831	469541	469957	470653	470665	472609	472679	472740	472751	472891
472961	472972	473095	473101	473241	473272	473366	473380	473416	473509
473544	473590	473746	473771	473818	473823	473898	473911	474029	474149

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 28 मई, 2025

474182	474241	474262	474276	474288	474378	474401	474427	474459	474687
474785	474806	474851	475007	475045	475079	475088	475226	475230	475282
475287	475316	475359	475384	475490	475588	475679	475877	475910	476180
476383	476526	476615	476643	476669	476829	477113	477259	478227	478259
478805	480103	482014	482239	482982	485279	485405	485442	485744	485821
486012	486109	486122	486538	486569	486630	487014	487075	487143	487278
487448	487594	488628	488744	488795	489015	489174	489210	489792	489817
489921	489932	490072	491507	491660	491726	491914	491947	492266	492287
492888	492946	492980	493053	493139	493140	493288	493388	494295	494425
495015	495168	495731	495913	496371	496534	496735	496736	497721	497831
498501	498713	498714	499823	499836					

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 09 जून, 2025

402322	402324	402413	402515	402640	402700	404301	405483	411035	411294
412560	419754	419821	420200	420254	420389	420817	420982	425033	433600
433694	433728	434180	434455	434926	435137	439209	439332	439532	440119
449351	450136	450145	451349	455487	455521	456111	456359	472730	472987
473511	473560	473718	473843	473854	473926	474112	474251	474350	474357
474566	474698	475467	475583	476061	476152	476288	476778	477545	477561

477789	485451	485710	485779	486005	486528	487509	487668	488337	489935
490249	491031	491262	491398	496510					

नोट-उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) के सत्यापन के साथ ही किया जायेगा। उक्त दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पृथक-पृथक से समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के दो-दो सैट साथ लायेंगे।

नोट- प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(4) इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर 02 सैट में पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे-

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form)(प्रपत्र संख्या-02)

(ग) प्रमाणीकरण-पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)

(घ) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।

05- अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गये दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:-

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) हेतु:-क) उप निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए।

ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।"

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु:-"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान

दिया जायेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष होगी।”

- 4) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण –पत्र। (यदि लागू हो)।
- 5) ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट संबंधी पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण–पत्र।
- 6) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।
- 7) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
- 8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
- 9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (**Affidavit**) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
- 10) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या–A-5/E-05/DR/उ0नि0/2023-24 दिनांक :: 31 जनवरी, 2024 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड–पे 4600) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (**Salary Slip**) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 11) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक–तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (**Certificate**) प्रस्तुत करना होगा।
- 12) होमगार्ड अभ्यर्थी, जिन्होंने 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, का दावा किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/अभिलेख। (केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना/गुल्मनायक (पुरुष) पीएसी/आईआरबी हेतु अनुमन्य)
- 13) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या 02 एवं 04 के फोटो के अतिरिक्त)
- 14) अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन भरे गये वरीयता प्रपत्र की छायाप्रति।
- 15) उपरोक्त क्रमांक 1 से 19 पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (**अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें**)।

06– यदि अभ्यर्थी अभिलेखों सत्यापन हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

07– यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान

किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।
08— आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।